

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज) 10383-89

क्रमांक एफ 3(24)लेखा एवं ऑडिट/आईजीपीआरएस/2013/

जयपुर, दिनांक 15/3/16

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 43/2015-16)

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम एवं अन्तिम किश्त के रूप में राशि रूपये 173.37 लाख (अक्षरे राशि रूपये एक करोड़ तेहतर लाख सैंतीस हजार मात्र) संस्थान के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रु. में)

मांग सं. 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

003- प्रशिक्षण

(02)- इंदिरा गांधी पंचायती एवं ग्रामीण विकास

संस्थान को सहायतार्थ अनुदान

173.37

92- सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (आयोजना भिन्न)

कुल योग

173.37

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331600197 दिनांक 10.03.2016 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। इस राशि का व्यय राजकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया के अनुसार ही सुनिश्चित किया जावे तथा विभाग द्वारा पी.डी. खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जावे। बैंक में विनियोजन हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आर.एस. मरकड)

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि राशि रु. 173.37 लाख इंदिरा गांधी पंचायती एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश जारी कराने का श्रम करावें।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
6. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/भुगतान/रक्षित पत्रावली
7. प्रोगामर (मु0) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(इन्द्र सिंह राव)

अतिरिक्त निदेशक,  
आईजीपीआरएस